2017/00004

Reader - I

25

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 47/2017

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री कमलाकृष्ण पण्ड्या पिता श्री उमियाशंकर पण्ड्या निवासी कूपड़ा, तहसील व जिला बांसवाडा(राज)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपस्थित : 1– श्री कमलाकृष्ण पण्ड्या, प्रार्थी स्वयं

2– श्री योगेश सोमपुरा, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :– 27-12-2017

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी एवं अन्य के नाम से ग्राम कूपड़ा में स्थित है। सर्वे नम्बर 348/1, 326, 165 रकबा क्रमशः 0.176, 0.055, 0.002 हैक्टर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के रोड़ निर्माण में अवाप्त की गई है। भूमि बांसवाड़ा–डूंगरपुर रोड़ पर स्थित है, जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा सड़क से दूर की भूमि की डीएलसी दर के अनुसार गणना कर अवार्ड पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा को आपत्ति पेश की गई। आपत्ति प्रस्तुत करने पर पटवारी/ गिरदावर हल्का कूपड़ा द्वारा जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा को पेश की गई है। इस पर उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1059–64 दिनांक 07–10–2015 से अन्तरराशि उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, रा.रा.मा., बांसवाडा को लिखा गया। किन्तु अब तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मुआवजा राशि का 6 गुना डीएलसी की दर से भुगतान

D.M. Dicision 2016.doc

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर

26

करने हेतु निवेदन किया। भूमि वर्ष 2012 में अवाप्त की गई है। 5 वर्ष का फसल का नुकसान का भी मुआवजा दिलाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के बहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3–क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisation, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चुंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागु नही होते है। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के पत्रांक 972 दिनांक 09–05–2017 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम कूपड़ा में शिवशंकर, रामचन्द्र, कमलाकृष्ण, भगवती शंकर, शान्तिलाल, डायालाल, पिता उमियाशंकर व कोदरी बेवा उमियाशंकर खातेदार के नाम से आराजी नम्बर 165 में से 0.055 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 348/1 में से 0.176 हैक्टर कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति का गजट प्रकाशन होकर अवार्ड पारित हुआ है। गजट प्रकाशन होकर मुख्य सड़क से दूर की डीएलसी के आधार पर मूल्यांकन कर अवार्ड पारित हुआ है। मुताबिक पारित अवार्ड प्रार्थी एवं हितबद्ध व्यक्तियों की अवाप्त शुदा कृषि भूमि आराजी नम्बर 165 का 1768/–रू., आराजी नम्बर 326 का 56791/–रू., व आराजी नम्बर 348/1 का 183566/–रू. राशि का पृथक–पृथक हिस्से अनुसार समस्त खातेदारों में राशि का अवार्ड जारी किया जाकर भुगतान कर दिया गया है। राजस्व ग्राम कूपड़ा के गत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 के अनुसार खाता संख्या 427 नई व 347, 438 पुरानी मे हितबद्ध खातेदारों को भूमि का मुख्य सड़क से दूर की डीएलसी से गणना कर अवार्ड गलत पारित हुआ है, जबकि मौके पर सडक पर स्थित होने के कारण अवार्ड गलत पारित हुआ है। ग्राम कूपड़ा शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं होकर पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है। उक्त सड़क विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से (R & R) का निर्धारण पृथक से नियुक्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है। अवाप्तशुदा भूमि के अवार्ड के समय वर्ष 2010–11 की डीएलसी में 15% + 10 % जोड़ कर की गई गणना से मुआवजा राशि 656913/–रू0 बनती है, पूर्व में आबादी शुदा भूमि पेटे 242125/–का अवार्ड पारित हुआ है। अतः शेष राशि 414788/– रू. नियमानुसार मुआवजा दिया जाना उचित होने का उल्लेख किया है।

दिनांक 27–12–2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3–जी (7)(ए) के तहत् अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बासवाड़ा ने भी अपने

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि भूमि का मुख्य सड़क से दूर की डीएलसी से गणना कर अवार्ड गलत पारित हुआ है, जबकि मौके पर सड़क पर स्थित होने के कारण अवार्ड गलत पारित हुआ है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना कर प्रार्थीया के नाम से अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार पर प्रार्थीया को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा